Mismanagement in Western Coalfields Ltd.

*522. SHRI DARA SINGH CHAUHAN : Will the Minister of COAL be pleased to state :

(a) Whether Government are aware of the mismanagement in Western Coalfields Ltd. especially in Nagpur division.

(b) whether Government propose to hold an enquiry to find out the reasons and circumstances of abandoning the Adasa, Nagpur Coal mines project after the approval of Government, if not, the reasons therefor;

(c) What steps Government have taken against exploitation of the farmers regarding payment of compensation for the acquisition of their lands for the project and fix responsibility on the concerned officers; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI SYED SHAHNAWAZ HUSSAIN : (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Government do not consider Western Coalfields Limited or its Nagpur division to be mismanaged, though there is always scope for improvement.

(b) Adasa coal mine of Western Coalfields Limited (WCL) was sanctioned in December, 2000 by WCL and land acquisition is under progress.

(c) and (d) Compensation for the acquired land and standing crops, if any, is paid under the provisions of the relevant Act.

श्री दारा सिंह चौहान : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर के ''क'' भाग में लिखा है कि—सरकार यह नहीं समझती है कि वेस्टन कोलफील्ड्स लिमिटेड या इसके नागपुर क्षेत्र में कुप्रबंधन है, यद्यपि सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है।

अगर आपके उत्तर में यह है कि ''यद्यपि सुधार की गुंजाइश रहती है'', इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कुप्रबंधन है या कुप्रबंधन बना रहता है। जो कोयला खान में मजदूर काम करते हैं वे अपनी भविष्य निधि से अगर कोई आवश्यक काम करना चाहते हैं, जैसे अपनी बेटी की शादी इसमें पैसा निकालकर करना चाहते हैं तो होता यह है कि उसकी शादी हो जाती है और भविष्य निधि से पैसे निकालने में 6-6 महीने लग जाते हैं। तो क्या इसके सुधार के लिए मंत्री जी कोई व्यवस्था करना चाहेंगे ?

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : सभापति महोदय, हमने अपने जवाब में, जो पूछा गया था कि वहां कुप्रबंधन है उससे इन्कार किया है। लेकिन हमने पूरी तरह से यह जरूर कहा है कि हर जगह सुधार की जरूरत रहती है। हमने जवाब पूरी ईमानदारी से इसमें दिया है कि कुप्रबंधन न रहते हुए भी सुधार की जरूरत है क्योंकि जिस तरह का सवाल इन्होंने पी. एफ. के बारे में पूछा है कि उसमें 6-6 महीने का समय लगता है वह पूरी तरह से सही नहीं है। उसके लिए हमने एक मीटिंग की थी और जो लोग भी एप्लीकेशन देते हैं उनको जल्दी से जल्दी राशि उपलब्ध करा दी जाती है।

श्री दारा सिंह चौहान : माननीय मंत्री जी ने दूसरे ''ख'' भाग में अपना उत्तर दिया है कि वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की जो अडासा कोयला खान है वह दिसम्बर, 2000 में स्वीकृत की गयी थी तथा भूमि अधिग्रहण प्रगति पर है। 10 अप्रैल के नवभारत टाइम्स में निकला है कि वहां वेस्टर्न कोलफील्ड्स के जो बड़े अधिकारी हैं चाहे सी.एम.डी. हों, डायरेक्टर, परसोनल हों या डायरेक्टर, टेक्निकल हों—सारे बड़े अधिकारियों की आपसी लड़ाई में, आपसी मनमुटाव में इस खदान की प्रक्रिया रुकी हुई है जबकि इसकी स्वीकृति केंद्र सरकार ने 6 महीने पहले दे दी थी।

दूसरा भाग हमारा है कि हमको खदान शुरू करनी है, माइन्स शुरू करनी हैं, आगे ले जानी हैं तो अब तक कितने लोगों को मुआवजा दिया गया है और कितने लोगों का मुआवजा अभी तक बाकी है क्योंकि वहां की जो खानें हैं वे 300 रुपए प्रति टन के हिसाब से फायदे में हैं। बाकी खानें जो चल रही हैं वे घाटे में चल रही हैं। तो क्या इसके लिए माननीय मंत्री जी कोई आश्वासन देंगे ?

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : सभापति महोदय, नागपुर डिवीजन में अडासा भूमिगत परियोजना बनी है जो दिसम्बर, 2000 में सेक्शन हुई थी। यह भूमिगत परियोजना महाराष्ट्र में डब्ल्यू. सी. एल. के नागपुर क्षेत्र में है। क्षमता 0.21 मिलियन टन प्रति वर्ष है। इसकी अनुमानित लागत 39.87 करोड़, है और स्वीकृति की तिथि 2000 है और पूरा होने की जो निर्धारित तिथि है वह मार्च 2005 है। इसके ग्राहक महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के साथ भी लिंकेज के लिए अक्तूबर, 2000 में करार पर हस्ताक्षर हो गए हैं। इसमें मूल्य 1191.15 प्रति टन है और उत्पादन लागत जो इसकी है वह 1190.17 है। इसमें हम लोगों ने जो जमीन अडासा में एलाट की है, जो हम लोगों ने उनसे जमीन ली है उसकी वर्तमान स्थिति यह है कि अधिनियम, 1957 के अंतर्गत खनन अधिकार प्राप्त कर लिए गए हैं।

खान खोलने के लिए भूमि अधिग्रहण प्रगति पर है। सरकारी भूमि 5.33 हेक्टेयर के लिए अनुबंधित की गई है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, नागपुर द्वारा उसकी सिफारिश की गई है। डिविजनल कमिश्नर, नागपुर के पास यह विचाराधीन है और अंतिम स्वीकृति महाराष्ट्र राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा दी गई है। निजी भूमि 2.4 हेक्टेयर हमने ले ली है और उसमें उनको हमने

पैसा भी दे दिया है, जिसमें 7 लाख 62 हजार 215 रुपया हमने उनको पेमेंट किया है। जैसा इन्होंने कहा है कि वह अधिकारियों की वजह से विवाद में है तो यह सही नहीं है। यह आपने जो अखबार की खबर बताई है यह हमारे डाटा से मिलती-जुलती खबर नहीं है। सभापति महोदय, अंडरग्राउंड माइनिंग का जब हम प्लान करते हैं तो उसमें काफी समय लगता है और उसके लिए हम पहले जमीन अक्वायर करते हैं, उसका मुआवजा देते हैं उसकी प्लानिंग बनती है और उसके बाद हमने जिस तरफ से उसको खोलना चाहा था तो देखा कि वहां पर कुछ लोगों की जमीन थी। वह जमीन जिनकी थी उन्होंने जब यह देखा कि हम यहां पर खान खोलने वाले हैं तो उन्होंने अपनी जमीन चार व्यक्तियों के हाथ बेच दी, क्योंकि उसकी वजह से चार लोगों को उसमें रोजगार मिलने की संभावना हो सकती थी। हमने राज्य सरकार से बातचीत की और जो प्राइवेट व्यक्ति हैं उनकी 2.04 हेक्टेयर जमीन थी वह हमने ले ली है और उनको हमने पेमेंट भी कर दिया है। राज्य सरकार से बातचीत भी हो गई है। खदान का कार्य प्रगति पर है और इसको निश्चित समय में अर्थात् सन् 2005 में इस खदान को हम चालू करने की स्थिति में होंगे।

श्री दारा सिंह चौहान : कितनों का मुआवजा दे दिया है ?

श्री सभापति : आपका हो गया, आपके दो सवाल हो गए। श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया।

SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA : Sir, the issue concerning compensation for the acquired lands has been taken up seriously and considered by the Hon. Supreme Court recently. The Supreme Court has given a direction that compensation should be paid at the market rate. It is a recent decision of the Hon. Supreme Court, taken about 15 days back. I want to put a specific question to the Hon. Minister, through you, Sir. What is the fate of the farmers whose lands were acquired by the Western Coalfields Ltd. ? Were the displaced people promised any jobs or an appropriate compenstion ? Has the Government met the promise made to them ?

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : सभापति महोदय, भूमि अधिग्रहण के चार तरीके हैं जिनको हम अपनाते हैं। एक तरीका है सीबीए अधिनियम के अंतर्गत अधिग्रहीत भूमि और दूसरा तरीका है भूमि अधिग्रहण अधिनियम जिसके अंतर्गत हम भूमि अधिग्रहण करते हैं। जो सीबीए अधिनियम के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के तरीके के अतिरिक्त कोयला कंपनी भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 और 6 के अंतर्गत गैर-खनन प्रयोजन के लिए जैसे सड़क निर्माण आदि के लिए भूमि का अधिग्रहण करती है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण हेतु अधिसूचना जिलाधिकारी द्वारा जारी की जाती है तथा मुआवजा भूमि भुगतान भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधान के अनुसार किया जाता है। तीसरा तरीका सीधे खरीद के माध्यम से भूमि अधिग्रहण करने का है। चौथा इसमें तरीका जो है वह हम लोग राजकोट के भूमि अधिग्रहण नीति के तहत करते

हैं। आपने जैसा सवाल पूछा है कि जो किसान की हमने भूमि ली है उसके साथ न्याय हुआ है या नहीं हुआ है तो उसके बारे में सभापति महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि उनकी जो कुल भूमि थी वह 2.04 हेक्टेयर थी जिसमें निजी मालिक से सीधी बातचीत एक और जमीन की चल रही है जो 1.79 हेक्टेयर है। ..... (*व्यवधान*) रेट भी मैं बता रहा हूं। सीधे जो उनसे बातचीत हुई है उसमें उनको रेट जो दिया गया है वह 1 लाख 57 हजार 267 रुपये भूमि की लागत के हिसाब से दिया गया है और जो उस पर पेड़ थे उसके ..... (*व्यवधान*) हेक्टेयर के हिसाब से और वृक्षों का जो मूल्य है, ... (*व्यवधान*) मैं पूरा इसको पहले बता दूं, क्योंकि जवाब बड़ा टैक्निकल है, सभापति महोदय, इसलिए मैं जब तक पूरा नहीं बताऊंगा तब तक इसमें पूरी बात समझ में नहीं आएगी। वृक्षों का जो मूल्य है वह 88 हजार है और मकान का जो मूल्य है 47 हजार है, कुएं का जो मूल्य है वह 92 हजार है और जमीन के बदले में हम रोज़गार भी देते हैं। ..... (*व्यवधान*) जी, मैंने उसी का जवाब दिया है। उसके लिए एक नीति है जिसमें हम रोजगार देते हैं। सिंचित दो एकड़ जमीन पर एक व्यक्ति को रोजगार देते हैं और गैर-सिंचित जमीन पर 3 एकड़ पर रोजगार देते हैं। इस तरह जिनकी हमने 2.4 एकड़ जमीन ली है, अगर वह व्यक्ति रोजगार नहीं लेता है तो उसके बदले में हम 3 लाख 52 हजार रुपया देते हैं।

माननीय सभापति जी, जहां तक शोषण का सवाल है, यह बात एकदम सही नहीं है क्योंकि जिन व्यक्तियों से हमने 2.4 एकड़ जमीन ली है, वह अभी उस पर खेती कर रहे हैं और जब हम माइनिंग शुरू करेंगे तब उनसे यह जमीन वापिस ले लेंगे।

श्री आर. पी. गोयनका : सभापति महोदय, मंत्री जी ने यह जो जवाब दिया है, वह तो बच्चों को बहलाने जैसा है। सभापति जी, इसमें दिया है कि Western Coalfields is not mismanaged. अब इतना भारी सर्टिफिकेट तो हिंदुस्तान में कोई नहीं देता है। मैंने कल आफ्टरनून सेशन में भी ईस्टर्न कोलफील्ड के बारे में इसी तरह के सवाल किए थे। सभापति जी, हम 'ए' क्वालिटी का लगभग 2 मिलियन टन कोयला इनसे खरीदते हैं तो वह 'बी' क्वालिटी का मिलता है और कोयले की जगह बड़ी-बड़ी ईंटें मिलती हैं। अब सभापति जी, मिस-मैनेजमैंट किसको कहते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता है। मेरी मंद बुद्धि में वह बात नहीं घुसती है। तो मंत्री जी बताएं कि उन्होंने इस कंपनी को इतना बड़ा सर्टिफिकेट किस बूते पर दे दिया?

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : सभापति जी, मेरी इतनी उम्र नहीं कि मैं इतने सीनियर सदस्यों को बहला सकूं। मैं मंत्री बनने के बाद भी हाऊस में जब जवाब देने आता हूं तो यह सोचकर आता हूं कि मुझे यहां से कुछ सीखकर जाना है। सभापति जी, राज्य सभा में व्यापक रूप से यह मेरा दूसरा जवाब है। मैं राज्य सभा के सदस्यों का बहुत सम्मान करता हूं और जिन माननीय सदस्य ने यह सवाल पूछा है, वह बहुत तैयारी से पूछा है। लेकिन सम्मानित सदस्य ने जो बातें कही हैं, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सर्टिफिकेट तो आंकड़ों के आधार पर दिए जाते हैं और

आंकड़ों के आधार पर ही किसी को आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं या अच्छा या बुरा कह सकते हैं। सभापति जी, मैं आपके समक्ष इस संबंध में विस्तार से जवाब देना चाहता हूं कि मैंने डब्ल्यू.सी.एल. को क्यों अच्छी कंपनी कहा है। सम्मानित सदस्यों ने ई.सी.एल. की बात कही है, लेकिन यह सवाल डब्ल्यू.सी.एल. से संबंधित है। महोदय, हमारी जो कंपनियां फायदे में चल रही हैं, उनमें से जिन पर हम गर्व कर सकते हैं, डब्ल्यू.सी.एल. एक है। ...(*व्यवधान*)...

श्री दीपांकर मुखर्जी : अरुण शौरी जी गुस्सा हो जाएंगे। ...(*व्यवधान*)... इस सरकार के मुताबिक कोई पब्लिक सेक्टर अच्छा नहीं चलता।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : यह आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। सभापति जी, मैं आप के सामने कुछ आंकड़े रख रहा हूं। सभापति जी, मैंने पहले ही अपने जवाब में बहुत ईमानदारी से कहा कि हर जगह सुधार की जरूरत है। हर व्यक्ति या संगठन में कहीं-न-कहीं सुधार की जरूरत रहती है। इसलिए मैंने जवाब तैयार करते वक्त खुद जुड़वाया कि यह बात कहनी चाहिए। हम टोटल इंकार तो कर सकते थे कि इसमें कोई इस तरह का कुप्रबंध नहीं है, लेकिन हमने कहा कि हर जगह सुधार की जरूरत रहती है व सुधार के लिए ही मंत्री बनाए जाते हैं और वे रिफॉर्म्स लेकर आते हैं। ...(*व्यवधान*)... अब यह जो हम सुधार करना चाहते हैं, उसमें हमें सम्मानित सदस्यों का भी पूरा सहयोग चाहिए। सभापति जी, मैं आपके सामने पिछले 5 वर्ष के डब्ल्यू.सी.एल. के आंकड़े रखना चाहता हूं। सभापति जी, इसका उत्पादन मिलियन टन में है और 1996 में यह 31.2 मिलियन टन था और अब 2001 में 35.2 मिलियन टन हो गया है। इसका ओवर बर्डन रिमूवल (ओ.वी.आर.) मिलियन क्यूबिक मीटर में है जो 70.8 मिलियन क्यूबिक मीटर से बढ़कर 100.6 मिलियन क्यूबिक मीटर हो गया है और जो ओ.एम.एस. है, जो मैन पावर वहां काम करता है, पहले जितनी मैन पावर से 1.63 टन कोयले का उत्पादन होता था, अब उतनी ही मैन पावर 1.93 टन कोयला निकाल रही है, यानी अब वे ज्यादा कोयला निकाल रहे हैं। जो डिस्पैचिस हैं जो हम कोयला निकालकर बाजार में बेचते हैं, उस कोयले में हमें तरह-तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उसमें भी बढ़ोत्तरी हुई है, जो 1996-97 में 30.9 मिलियन टन था, वह बढ़कर 2000-2001 में 35.13 मिलियन टन हो गया है। क्षमता में भी बढ़ोत्तरी हुई है, पहले यह 101 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर 115 प्रतिशत हो गई है। मैं कुछ आंकड़े इसमें और जोड़ना चाहता हूं क्योंकि मैंने जब यह कहा है कि इसमें कुप्रबंध नहीं है तो इसमें कुछ तर्क और देने जरूरी हैं। जहां तक डब्ल्यू.सी.एल. कम्पनी के वित्तीय कार्य निष्पादन का सवाल है, वह भी काफी बढ़ा है। 1995-96 में जहां यह कम्पनी 98.59 करोड़ रुपए फायदे में थी, अब आज 2001 में यह फायदा बढ़ा है और हमने इस बार 395 करोड़ रुपए के ऐरियर का प्रावधान किया है, जो हमने बैंक डेट से हमारे मजदूरों को देना है। इस बारे में पहले भी प्रश्न उठा था कि हम लोग ग्रेच्युटी और पी.एफ. पर ध्यान नहीं देते हैं, तो हमने इस बार बड़े तौर पर इसमें

68 करोड़ का प्रावधान किया है और सब मिलाकर कुल लाभ करीब 491 करोड़ का हुआ है, जिसमें अभी नेट लाभ हमें 28.23 मिलियन का है और यह हर साल बढ़ रहा है। 1995-96 में जहां यह लाभ 98 करोड़ था, वह बढ़कर 1999-2000 में 405 करोड़ के करीब पहुंच गया और इस बार जो हमें टोटल फायदा हुआ है, वह 491 करोड़ का हुआ है, जिसमें हमने ये प्रावधान किए हैं। डब्ल्यू.सी.एल., ई.सी.एल., बी.सी.सी.एल. और सी.सी.एल., ये ऐसी कम्पनियां हैं जो घाटे में चल रही हैं क्योंकि वहां पर स्टाफ बहुत ज्यादा है और कई दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ रहा है। ...(***व्यवधान***)... मैं फिगर दे रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए। सभापति महोदय, जब अच्छी बात होती है तो ये सुनते नहीं हैं। ...(***व्यवधान***)...कर्मचारियों की जो संख्या 84,457 थी, वह घटकर 77,866 हो गई है और करीब 7,000 लोग उसमें कम हुए हैं। इसलिए, सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमने काफी सुधार किए हैं। जहां तक कुप्रबंधन का सवाल है, वह इसमें नहीं है। हमने इसमें कुछ रिफार्म्स भी किए हैं, जो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। हमने कुछ लोगों के ट्रांसफर किए हैं। करीब 97 अधिकारी जो एम 1, एम 2, एम 3 के थे, जो 20 साल से एक ही स्थान पर थे, हालांकि पॉलिसी थी कि दस साल में उनका तबादला हो जाना चाहिए लेकिन पता नहीं किन कारणों से उनका तबादला नहीं हो पाता था, मैंने बहुत बड़ा एक स्टेप लेकर उनको भी वहां से हटाया है और पूरे मामले को चुस्त-दुरुस्त किया है।

श्री दीपांकर मुखर्जी : ई.सी.एल. में भी सुधार करेंगे ?

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : प्रश्न डब्ल्यू.सी.एल. का है।

श्री दीपांकर मुखर्जी : ई.सी.एल. में भी सुधार कर देंगे बोल दीजिए न।

श्री आर. पी. गोयनका : सर, इन्होंने जवाब ही नहीं दिया है।

SHRI LEKHRAJ BACHANI : Sir, the Minister has said that there is every scope for improvement. In the year 1998-99, the Gujarat Electricity Board supplied coal to the Ukai Thermal Station from the Western Coal Fields. But in the year 2000-01, they have discontinued the supply. What are the reasons for not supplying coal to the Ukai Thermal Station ? The Government of Gujarat has repeatedly requested the Western Coal Fields and the Coal Authority of India to supply the coal. What are the reasons for not supplying coal to the Ukai Thermal Station ?

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : यह सैपरेट क्वश्चिन है, यह WCL की नागपुर माइन से संबंधित है। यह हमने क्यों किया, क्यों नहीं किया, इसके बारे में अलग से सवाल पूछेंगे तो मैं उसका जवाब दे दूंगा।

श्री संजय निरुपम : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कई कारण बताए जिससे उन्होंने यह साबित किया कि WCL में अच्छा काम चल रहा है। महोदय, WCL का मुख्यालय

नागपुर में है और मैं महीने में तीन बार नागपुर जाता हूं और मुझे WCL के इम्प्लॉयीज अक्सर मिलते रहते हैं। मैं एक आंकड़ा दे रहा हूं, मेरे पास जो आंकड़ा है वह सरकारी आंकड़ा है कि WCL का नैट प्रॉफिट लगातार घट रहा है जबकि उसका टर्नओवर बढ़ रहा है। महोदय, 1997-98 में WCL का टर्नओवर 2,494 करोड़ रुपए था, मंत्री जी चैक करिएगा, 1999-2000 में यह कारोबार बढ़कर 2,600 करोड़ रुपए हो गया, जबकि इसके विपरीत 1997-98 में जब कारोबार कम था, उस समय इसका प्रॉफिट 401 करोड़ रुपए था और 1999-2000 में जब कारोबार बढ़ जाता है तो 276 करोड़ रुपए का नैट प्रॉफिट हो रहा है। आप यह नहीं कह सकते हैं कि VRS में सारा पैसा गया, VRS तो 1999-2000 में ज्यादा हुआ, उस समय करीब 1,000 लोगों को VRS दिया गया। इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि सारा का सारा पैसा उसमें चला गया।

महोदय, इसके पीछे कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि पूरी सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री में स्टैगनेशन आ गया जिसके कारण मार्केट स्लगिश हो गई लेकिन मेरा कहना यह है कि जब कोयले का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो WCL का नैट प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ पा रहा है ? इसके कई कारणों में से एक मुख्य कारण मैं ढूंढता हूं तो वह यह है कि नागपुर में इस समय कोयले की जबरदस्त तस्करी चल रही है। नागपुर पुलिस के पास नियमित तौर पर इस तरह के केसेज रजिस्टर होते हैं। नागपुर से कोयले का यह अवैध कारोबार पूरे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आस-पास के इलाकों में हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने मामले आपके सामने आए हैं और जो मामले आपके सामने आए हैं, उनके संदर्भ में आपने क्या ऐक्शन लिया है ?

श्री दीपांकर मुखर्जी : एकदम गाइडलाइंस के हिसाब से क्वश्चिन पूछा है।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : सभापति महोदय, मैंने जो आंकड़े दिए हैं, वे पूरी तरह सही हैं, लेटेस्ट हैं और वे आज सुबह के आंकड़े हैं, पूरी तरह ऑथोराइज्ड हैं, ऑथेंटिक हैं।

श्री बालकवि बैरागी : सभापति जी, ये सवेरे का टैमप्रेचर बता रहे हैं क्या ?

श्री टी. एन. चतुर्वेदी : टेलीफोन से बात करके लिए हैं, सैटेलाइट से बात करके लिए हैं।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : मैंने पहले भी कहा कि मैं सीखने का प्रयास करता हूं और मुझे लगा कि जब मैं आज क्वश्चिन का जवाब देने जा रहा हूं तो मैंने आज सुबह बातचीत करके वहां से ये आंकड़े लिए हैं। सभापति महोदय, नैट प्रॉफिट 1998 में 729 करोड़ रुपए था, वर्ष 2000 में यह 964 करोड़ रुपए हो गया। मैं फिर से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सिर्फ 1995-96 वर्ष ऐसा है जिसमें 98 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था, उसके बाद यह प्रॉफिट बढ़ता चला गया है। मैं हर साल का प्रॉफिट बता सकता हूं। महोदय, 1995-96 में यह 525 करोड़ रुपए था, 1997-98 में यह 628 करोड़ रुपए था, 1998-99 में यह 476 करोड़ रुपए था और 1999-2000 में यह 405 करोड़ रुपए था।

श्री संजय निरुपम : यह नैट प्रॉफिट नहीं है जो आप बता रहे हैं। नैट प्रॉफिट दूसरी चीज होती है। टैक्स देने के बाद और डिविडेंड देने के बाद प्रॉफिट क्या है ? यह जो पब्लिक सैक्टर की रिव्यू बुक है, मैं उसकी रिपोर्ट बता रहा हूं कि टैक्स पेमेंट के बाद नैट प्रॉफिट कितना है। मैं आपको नैट प्रॉफिट बता रहा हूं, आप जाकर बुक देख लीजिएगा, यह 1997-98 में 401 करोड़ रुपए है, उसके बाद 1998-99 में 258 करोड़ रुपए है, 1999-2000 में 276 करोड़ रुपए है। मैं सदन में यह जानकारी दे रहा हूं, आप जाकर इसे क्रॉस-चैक कर सकते हैं।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : जैसा मैंने कहा कि इस बार नैट प्रॉफिट 491 करोड़ रुपए है जिसमें 395 करोड़ रुपए का ऐरियर दिया गया है। हम ऐरियर देने के बाद और टैक्स देने के बाद की फिगर बता रहे हैं। उसमें ऐरियर का प्रावधान था और वह मजदूरों को मिलना था। इस ऐरियर का प्रावधान पहले नहीं किया गया था जिसके लिए मजदूर यूनियनों का हम पर काफी दबाव रहता है और हम उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। इसलिए हमने प्रॉफिट के अंदर ऐरियर का प्रावधान किया। मैं एक के बाद एक करके आपको बता दूं ताकि इसमें कोई गलतफहमी न रहे। इसमें ऐरियर 395 करोड़ रुपए है, ग्रेच्युटी 68 करोड़ रुपए है और कर देने के पश्चात लाभ 28.23 करोड़ रुपए है। मैं इसको फिर से पढ़ देता हूं टैक्स देकर जो लाभ है वह 28.23 करोड़ रुपए है और टोटल लाभ 491 करोड़ रुपए है।

श्री संजय निरुपम : सर, कोयले के कारोबार के बारे में नहीं बताया है।...

MR. CHAIRMAN : It is finished now. Next question. Mr. Rajnath Singh 'Surya'.

Solar Lantern

*523. SHRI RAJNATH SINGH 'SURYA' : †
MISS FRIDA TOPNO :

Will the Minister of NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the fact that the solar lantern could be a better substitute of electricity for lighting purpose particularly in rural, backward, hilly and far-flung areas;

(b) if so, what steps Government are taking to popularise and provide this lantern in the above areas:

(c) whether Government propose to launch any Centrally sponsored programme for the purpose in Bihar, Uttar Pradesh and Uttaranchal; and

(d) if so, by when and if not, the reasons therefor ?

†The Question was actually asked on the floor of the house by Shri Rajnath Singh 'Surya'